न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

निर्णय दिनांक 23.3.2025

मुकदमा नम्बर 18/2025
जीसीएमएस नम्बर 2025/40

भागूराम पुत्र ईश्वरराम जाति जाट निवासी अभयसिंहपूरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादी —

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, श्रीडूंगरगढ़।

—प्रतिवादी —

उपस्थितिः—
1. श्री राजाराम नैण अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए. व धारा 136 एलआर एक्ट</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 292 तादादी 1.7200 हैक्टेयर रोही ग्राम अभयसिंहपूरा में स्थित है वादी के पिता ईश्वरराम के फौत होने के बाद जब राजस्व रिकार्ड में विरासतन नामान्तरण दर्ज हुआ तो वादी का नाम भागू राम की जगह भागीरथ दर्ज कर दिया जबकि वादी का वास्तविक नाम भागू राम था वादी का नाम बिना जांच किये ही वादी का नाम भागीरथ लिख दिया जबकि वादी का नाम भागू राम दर्ज होना चाहिए था। उक्त खेत पर वादी का कब्जा–काश्त एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। वादी ने बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाकर बैंक में आवेदन किया तब बैंक ने राजस्व के अनुसार वादी ने पहचान के सबूत मांगे एवं वादी का नाम सही नही होने से वादी को बैंक ने ऋण देने से इनकार कर दिया वादी के पहचान पत्र राशन कार्ड एवं शिक्षा के दस्तावेज लिखा राम नाम से बने हुए है जिससे बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड बनाने से इनकार कर दिया एवं कहा कि राजस्व रिकार्ड में नाम अपने पहचान पत्र के अनुसार करने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादी ने रिकार्ड सही करने से इनकार कर दिया। वादी के पिता की विरासत की भूमि है जो वादी को विरासत में प्राप्त हुई है वादी के खेत के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम भागू राम की जगह भागीरथ दर्ज कर दिया है जिसको वादी सही करवाने का अधिकारी है। वादी के खेत के राजस्व रिकार्ड में वादी व वादी के पिता के नाम के वादी का पहचान के दस्तावेजो के विपरीत होने से दस्तावेजों के विपरीत होने से कई तरह की परेशानियां आती है एवं वादी अपने खेत पर केसीसी बनाने एवं सरकार की विभिन्न योजनाओ का लाभ उठाने से वचिंत हो रहा है जिससे वादी अपने खेत को विकसित करने से वचित है। वादी अपने पहचान के सबूत में भागू राम होने से वादी अपने खेत के राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम भागू राम दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी ने अपने खेत पर केसीसी के लिये राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई तो वादी को पता चला कि वादी का नाम भागीरथ पुत्र ईश्वरराम दर्ज है जिसको सही करवाने के लिए प्रतिवादी से सम्पर्क किया तो प्रतिवादी ने नाम सही करने से इनकार कर दिया प्रतिवादी के इन्कार करने के दिन से ही वादी को वाद हेतु हासिल है। वादी ने उक्त दावा में राजस्थान सरकार को पक्षकार संयोजित किया गया है स्टैट के विरूद्ध दावा दायर करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है स्टैट को दो माह का नोटिस दिया जाकर दो माह का इन्तजार किया जाता है तो केसीसी का सीजनल समय निकल जायेगा और वादी को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त दावा स्टैट के विरूद्ध कोई अपेक्षित अनुतोष नही मांगा गया है स्टैट द्वारा राजस्व रिकार्ड का संधारण एवं रिकार्ड में सशोधन किया जाता है इसलिए स्टैट को पक्षकार [illegible] वादगत खेत रोही अभयसिंहपूरा के घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती का है जिसका [illegible]कार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमान् हाजा न्यायालय को प्राप्त है। वादी का दावा पूर्ण न्याय शुल्क [illegible] के अन्दर मियाद प्रस्तूत है। अतः बादी का दावा स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से [illegible] फरमाने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:04:31 IST
Reason: SelfAttested

(क) कि वादी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 292 तादादी 1.7200 हैक्टेयर रोही ग्राम अभयसिंहपुरा में भागीरथ पुत्र ईश्वरराम की जगह भागू राम पुत्र ईश्वरराम घोषित किया जावें।

(ख) कि प्रतिवादी को आदेशित किया जाये कि वादी खेत खसरा नम्बर 292 तादादी 1.7200 हैक्टेयर रोही ग्राम अभयसिंहपुरा में भागीरथ पुत्र ईश्वरराम की जगह भागू राम पुत्र ईश्वरराम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में संशोधन करें ।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादी हो वह भी आज्ञाप्त फरमाया जावें ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाबदावा पेश किया। वादी की ओर से साक्ष्यवादी में भागूराम का शपथ पत्र पेश कर दस्तावेज प्रर्दश करवाये गये। वादी के बयान लेखबद्ध किये गये। जिरह प्रतिवादी शून्य। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादी वाद स्वीकार करन में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 292 तादादी 1.7200 हैक्टेयर रोही ग्राम अभयसिंहपूरा में भागीरथ पुत्र ईश्वरराम के स्थान पर भागू राम पुत्र ईश्वरराम घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 2[illegible].09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:04:31 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिकी मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी शुभम शर्मा आरएएस

उनवान

भागूराम पुत्र ईश्वरराम जाति जाट निवारी अभयसिंहपूरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, श्रीडूंगरगढ़।

मुकदमा नम्बर 18/2025

दावा बाबतः घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री राजाराम नैण अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी की ओर से पैरोकारराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 292 तादादी 1.7200 हैक्टेयर रोही ग्राम अभयसिंहपूरा में भागीरथ पुत्र ईश्वरराम के स्थान पर भागू राम पुत्र ईश्वरराम घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। **तहसीलदार, श्री डूँगरगढ तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।**

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी.........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 2[illegible] माह 09 सन् 2025 को जारी किया गया ।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्री डूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अुर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	भत्ता	
6.कमिश्नर की फीस	0	5. आदेशिका की तामिल	0
7.आदेशिका की तामिल	0	6. कमिश्नर की फीस	0
योग	0	योग	0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:04:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री डूंगरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)